

**मांग संख्या 01**  
**मुख्य शीर्ष 2013**

**मद क्रमांक 1**

पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्ते योजना अंतर्गत चिकित्सा अग्रिम दिये जाने हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मंत्रियों के वेतन योजना अंतर्गत चिकित्सा अग्रिम दिये जाने हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2051**

**मद क्रमांक 3**

राज्य लोक सेवा आयोग अंतर्गत परीक्षा मद में अतिरिक्त राशि रुपये 33.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,60,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 4**

सी.आई.डी. (इकानामिक आफेंसेस) अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2070**

**मद क्रमांक 5**

लोकायुक्त अंतर्गत स्थायी सम्पत्तियों के अनुरक्षण हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 003**

**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 1**

अपराध अनुसंधान विभाग अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

राज्य साइबर मुख्यालय अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4 - 52

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 53

पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पश्चिम विभाग) अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 54 - 60

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 61 - 62

केन्द्र क्षेत्रीय योजना महिला हेल्प डेस्क (निर्भया फण्ड) में अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2070

## मद क्रमांक 63

प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय अंतर्गत प्रतिस्थापन मद में वाहनों के क्रय हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 64

राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 65-69

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 005

## मुख्य शीर्ष 2056

## मद क्रमांक 1

केन्द्रीय तथा जिला जेलें अंतर्गत यात्रा भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 007**  
**मुख्य शीर्ष 2030**

**मद क्रमांक 1**

न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत अंतर्गत परिवहन व्यवस्था के भुगतान हेतु नवीन मद की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था पुनर्विनियोजन से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 008**  
**मुख्य शीर्ष 2053**

**मद क्रमांक 1**

राजस्व विभाग की प्रमुख राजस्व आयुक्त योजना अंतर्गत मकान किराया भत्ता मद में रुपये 2.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 010**  
**मुख्य शीर्ष 2406**

**मद क्रमांक 1 - 8**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था किये जाने तथा विभिन्न मदों में व्यय हेतु केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना में रुपये 1,55,08,998 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,08,998 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 27**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

वन विभाग के अंतर्गत वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन नवीन योजना में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 29-34**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 35 - 47**

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन प्राणियों का रहवास विकास योजना हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 48 - 51**

केन्द्र प्रवर्तित प्रोजेक्ट एलीफेन्ट योजना हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 52 - 96**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मुख्य शीर्ष 4406**

### **मद क्रमांक 97**

वन विभाग के अंतर्गत कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन संरक्षण समूह योजना अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों-अन्य मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 98-102**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मांग संख्या 013**

## **मुख्य शीर्ष 2401**

### **मद क्रमांक 1,3,5**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिये राशि रुपये 17.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 17,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2,4,6**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये राशि रुपये 7.29 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 7 - 170**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 171,173,174**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित कस्टम हाईरिंग सेन्टर की स्थापना पर अनुदान योजना के लिये राशि रुपये 22.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 22,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 172**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित कृषि यंत्रीकृत गतिविधियां एवं ग्राम विकास योजना के लिये राशि रुपये 4.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,99,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 175 - 198**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 014**

**मुख्य शीर्ष 2403**

### **मद क्रमांक 1 - 77**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 78-79**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के लिये राशि रुपये 14.04 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 80-101**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4403**

### **मद क्रमांक 102**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 016**  
**मुख्य शीर्ष 2405**

**मद क्रमांक 1-12**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 017**  
**मुख्य शीर्ष 2425**

**मद क्रमांक 1-3**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 018**  
**मुख्य शीर्ष 2230**

**मद क्रमांक 1-3**

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना में सहायक अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 019**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन के लिये सहायक अनुदान हेतु रुपये 107.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,07,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये सहायक अनुदान हेतु राशि रुपये 1457.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,57,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3-15**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 16

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में निर्माणाधीन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिये फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 1.15 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 17-19

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4210

## मद क्रमांक 20

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन के लिये वृहद निर्माण कार्य हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 21,23-25

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 22

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में निर्माणाधीन खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिये मशीने एवं उपकरण हेतु रुपये 9.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 020

## मुख्य शीर्ष 4215

## मद क्रमांक 1 - 15

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 021

## मुख्य शीर्ष 2053

## मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 022**  
**मुख्य शीर्ष 2059**

**मद क्रमांक 1 - 2**

कार्यालय भवनों का रख-रखाव व अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

मण्डल कार्यालय की स्थापना के अंतर्गत मंडल कार्यालय एवं अधीनस्थ 03 संभागों का स्थापना व्यय हेतु राशि रुपये 52.95 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 52,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 6-22**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4217**

**मद क्रमांक 23**

समस्त स्मार्ट सिटी में परियोजना क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 150.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 24-26**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन अंतर्गत वृहद निर्माण हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 023**  
**मुख्य शीर्ष 2705**

**मद क्रमांक 1 - 51**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का



पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 52**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### **मुख्य शीर्ष 4700**

### **मद क्रमांक 53**

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत हनोता वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 54**

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत सुथालिया वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मुख्य शीर्ष 4702**

### **मद क्रमांक 55-57**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मुख्य शीर्ष 4705**

### **मद क्रमांक 58**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मांग संख्या 024**

### **मुख्य शीर्ष 5054**

### **मद क्रमांक 1-3,5**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 4**

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 6**

भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता से एन.डी.बी. से वित्त पोषित सड़कों के निर्माण हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 025**  
**मुख्य शीर्ष 2853**

#### **मद क्रमांक 1**

खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतर लेखा अंतरण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 88,43,63,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 88,43,63,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 026**  
**मुख्य शीर्ष 2205**

#### **मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

#### **मद क्रमांक 2-3**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 027**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

#### **मद क्रमांक 1-16**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

#### **मद क्रमांक 17-28**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का

पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 029 मुख्य शीर्ष 2014

### मद क्रमांक 1 - 41

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2015

### मद क्रमांक 42

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग अंतर्गत याता भत्ता हेतु नवीन मद की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 43 - 84

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 85

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4216

### मद क्रमांक 86

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 030

## मुख्य शीर्ष 2215

### मद क्रमांक 1-3

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2216

### मद क्रमांक 4-6

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2501

### मद क्रमांक 7-12

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना में राशि रुपये 14.86 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2505

### मद क्रमांक 14-16

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये अतिरिक्त राशि रुपये 2000.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 20,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17-19

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 20-26

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4515

### मद क्रमांक 27-33

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 033

## मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति) नवीन योजना अंतर्गत रुपये 38.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2-4

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 5

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 034

## मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1-39

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 035

## मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 1

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अधीन मध्यवर्ती कार्यालय के डिक्रीधन के भुगतान अंतर्गत राशि रुपये 10,26,200 की अतिरिक्त आवश्यकता

है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,26,200 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 036**  
**मुख्य शीर्ष 3055**

**मद क्रमांक 1 - 3**

केन्द्र प्रवर्तित नवीन योजना सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फण्ड) अंतर्गत केन्द्रांश की राशि के आहरण हेतु रुपये 219.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,19,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 5055**

**मद क्रमांक 4**

केन्द्र प्रवर्तित नवीन योजना सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फण्ड) अंतर्गत केन्द्रांश की राशि के आहरण हेतु रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 037**  
**मुख्य शीर्ष 3452**

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 038**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1 - 6**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 039**  
**मुख्य शीर्ष 2408**

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मद क्रमांक 2-4,15,17,19**

भारत सरकार द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में फोर्टीफाईड चावल के वितरण की नवीन केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारंभ की जाने से उक्त योजना के संचालन हेतु राजस्व मद में प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 600 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मद क्रमांक 5-14,16,18,20**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मुख्य शीर्ष 4408**

### **मद क्रमांक 21**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मांग संख्या 040**

## **मुख्य शीर्ष 2204**

### **मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय सैन्य दल योजना में कार्यालय व्यय अंतर्गत फर्नीचर क्रय हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मांग संख्या 042**

## **मुख्य शीर्ष 2235**

### **मद क्रमांक 1**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय के लिये अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मुख्य शीर्ष 4235**

### **मद क्रमांक 2**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 043**  
**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 1**

शूटिंग रेंज के लिये ग्राम गौरा भोपाल में निजी भूमि अधिग्रहण हेतु राशि रुपये 5,25,31,200 की आवश्यकता है। इस हेतु व्यय की नवीन मद के रूप में राशि की व्यवस्था पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत योजना क्रमांक 7662-खेलों इंडिया के प्रावधान से समान राशि को समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,25,31,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 044**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1 - 2**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

शासकीय महाविद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु अनुरक्षण मद में राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 4 - 12**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 046**  
**मुख्य शीर्ष 3425**

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 047**  
**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 1**

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत गैर सरकारी तकनीकी कालेज और संस्थाओं को सहायता योजना में वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु राशि रुपये 7.86 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



## मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 2 - 3

कौशल विकास अंतर्गत म.प्र. काउंसिल ऑफ वोकेशनल एज्युकेशन एण्ड ट्रेनिंग की स्थापना योजना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतन मद में अवकाश यात्रा सुविधा एवं विशेष वेतन मद में राशि रुपये 200 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4-9

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 10-13

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 048

## मुख्य शीर्ष 4700

### मद क्रमांक 1-14

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 15

चिंकी बैराज बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना हेतु सामान्य सेंगमेंट में व्यय हेतु बजट शीर्ष की आवश्यकता है। जिसके लिये प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता से डही उद्वहन सिंचाई योजना के कार्य कराने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

भारत सरकार द्वारा विशेष पूंजीगत सहायता से आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2 के कार्य कराने हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 18

डही उद्घहन सिंचाई योजना हेतु नाबार्ड सामान्य सेंगमेंट में व्यय हेतु बजट शीर्ष की आवश्यकता है। जिसके लिये प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4801**

## मद क्रमांक 19 - 21

सरदार सरोवर योजना अंतर्गत कार्यरत अमले के मकान किराया भत्ता भुगतान हेतु प्रतीक प्रावधान एवं चिकित्सा अग्रिम हेतु रुपये 2.00 लाख की आवश्यकता है। चिकित्सा अग्रिम का समायोजन राशि रुपये 2.00 लाख इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000 एवं 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 049**

**मुख्य शीर्ष 2225**

## मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण के लिये सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2-39

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4225**

## मद क्रमांक 40-41

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 050**

**मुख्य शीर्ष 2401**

## मद क्रमांक 1

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन योजना के लिये राशि रुपये 1094.05 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,94,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3,5,7**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रो इरिगेशन योजना के लिये राशि रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 4,6,8**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के लिये राशि रुपये 1133.34 लाखकी आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 11,33,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 9-24**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मुख्य शीर्ष 4401**

### **मद क्रमांक 25-26**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना एवं राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईन की व्यवस्था हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## **मांग संख्या 052**

## **मुख्य शीर्ष 2210**

### **मद क्रमांक 1**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय के लिये छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 472.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,72,00,,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2**

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत दंत महाविद्यालय के लिये छात्रवृत्ति हेतु राशि रुपये 263.82 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,63,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3 - 16**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 17

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत पी.एम.एस.वाय. परियोजना अंतर्गत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिये मशीने एवं संयंत्र हेतु प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18 - 44

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 053 मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

गैर आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 18.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2216

### मद क्रमांक 2

एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 3

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग अंतर्गत ई.वी.एम. एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिये वेयरहाऊस का निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 18.96 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 5

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4216

### मद क्रमांक 6

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 055 मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना हेतु प्रथम अनुपूरक में राशि रुपये 378.50 लाख की आवश्यकता है। राज्य की आकस्मिकता निधि से इस हेतु राशि रुपये 180.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रुपये 3,78,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 211

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2236

### मद क्रमांक 212 - 227

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4235

### मद क्रमांक 228-232

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 056 मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2-4**

रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत मजदूरी एवं विद्युत प्रभार के लिये राशि रुपये 369.17 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,69,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 057**

**मुख्य शीर्ष 2215**

### **मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2217**

### **मद क्रमांक 2 - 3**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 060**

**मुख्य शीर्ष 2515**

### **मद क्रमांक 1-3**

विधायक स्वेच्छानुदान निधि से आर्थिक सहायता अंतर्गत राशि रुपये 50.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

उक्त राशि की व्यवस्था विभाग की पूंजीगत अनुभाग की योजना क्रमांक-8284 मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में समर्पण कर की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 061**

**मुख्य शीर्ष 2405**

### **मद क्रमांक 1**

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास योजना के लिये राशि रुपये 4,37,400 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,37,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 2 - 5**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 6

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4401

### मद क्रमांक 7-8

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4406

### मद क्रमांक 9

वन विभाग के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास योजना में रुपये 1.91 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 062

## मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 1-4

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मांग संख्या 063

## मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 2

सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 1,01,15.61 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,01,15,61,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 3 - 4**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 064**  
**मुख्य शीर्ष 4225**

### **मद क्रमांक 1-2**

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्रांश/राज्यांश के लिये पृथक बजट लाईनों की व्यवस्था संबंधित योजनाओं में की जाना है। राज्यांश की राशि का पुनर्विनियोजन केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की उपलब्ध राशियों से किया जाएगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राज्यांश की योजनाओं में प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मांग संख्या 065**  
**मुख्य शीर्ष 2052**

### **मद क्रमांक 1**

विमानन संचालनालय में व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ अंतर्गत परिवहन व्यवस्था मद में लिये गये आकस्मिकता निधि के समायोजन हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।